अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017,

सं0 04/2017- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उपनियम (3घ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ङ) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह खंड जमा, ऋण या अग्रिम के विस्तार के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने में लगी किसी बैंककारी कंपनी और वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, पर लागू नहीं होगा ।"।

3. उक्त नियम के नियम 10 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"4. उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का अंतरण, यथास्थिति, उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु इस उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि का विस्तार पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने और कारण अभिलिखित किए जाने पर, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त, केंद्रीय

उत्पाद-शुल्क या आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा छह मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाएगा ।"।

(फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 45/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 20 सितंबर, 2016 द्वारा, जो सा.का.नि. 896(अ), तारीख 20 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किए गए ।